तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज वेदलाल बनाम नरेश खत्री अपील संख्या 90/23 (2023/104)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.10.23	पत्रावली पेश हुई। रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र दिनाक 18.09.2023 में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए वकील रैस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित अंतरिम आदेश दिनांक 04.09.2023 जो कि धारा 151 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र पर पारित किया गया है, के विरूद्ध अपील पेश की गई है। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 04.09.2023 सी.पी.सी की धारा 151 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में जारी किया गया है। इस आदेश के विरूद्ध धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अपील पेश नहीं हो सकती है, क्योंकि भू राजस्व अधिनियम के तहत पारित आदेश के विरूद्ध ही धारा 75 के तहत अपील पेश की जा सकती है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश उक्त अधिनियम के तहत पारित नहीं कर सी.पी.सी की धारा 151 के तहत पारित किया गया है। जिसकी अपील का कोई प्रावधान नहीं है और न ही अदालत हाजा को इस तरह के आदेश के विरूद्ध सुनवाई किए जाने का अधिकार प्राप्त है। रैस्पोडेन्ट की ओर से सी.पी.सी की धारा 151 के तहत अदालत मातहत में तहसीलदार भरतपुर के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 16 कहीं भी पक्षकार नहीं थे। इसलिए अपीलान्ट को अदालत हाजा में अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि तहत अदालत के समक्ष रहे पक्षकारों को ही पक्षकार बनाकर अपील पेश की जा सकती है। नए पक्षकारों के आधार पर अथवा अतिरिक्त पक्षकारों को बढाकर या घटाकर अपील पेश नहीं की जा सकती। इसलिए अपीलान्ट द्वारा पेश की गई अपील पक्षकारों के कुसंयोजन से ग्रसित होने के कारण भी प्राथमिक स्तर पर ही खारिज किए जाने योग्य है। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में एल.आर.एक्ट की धारा 128 व 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के बाद रैस्पोडेन्ट की ओर से सी.पी.सी की धारा 151 के तहत दिनांक 24.08.2023 को पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2023 के द्वारा स्वीकार कर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति रखे जाने का आदेश पारित किया है। चूंकि अदालत मातहत की ओर से पारित उक्त आदेश धारा 128 व 136 के प्रार्थना पत्र में पारित नही किया जाकर सी.पी.सी की धारा 151 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पारित किया गया है। ऐसे आदेश की निगरानी ही प्रस्तुत की जा सकती है। जिसकी क्षेत्राधिकारिता अदालत हाजा को नहीं होकर माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को है। अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत मीमो आफ अपील के बिन्दु संख्या 2 व 7 में यह स्वीकार किया है कि अदालत हाजा द्वारा उक्त आदेश सी.पी.सी. की धारा 151 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में पारित किया गया है। वकील रैस्पोडेन्ट ने आर.बी.जे (13) 2006 पेज 798, आर.आर.डी 1991 पेज 422, आर.आर.टी 2020 (2) पेज 806, आर.आर.डी 1999 पेज 211, आर.आर.डी 1986 पेज 308 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उक्त नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि सी.पी.सी की धारा 151 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पारित किए गए आदेश के विरूद्ध अपील मेन्टनेबल नहीं है। वरन् इस तरह के	

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज बेदलाल बनाम नरेश खत्री अपील संख्या 90/23 (2023/104)
03.10.23	आदेशों को निगरानी के माध्यम से सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। वकील रैस्पोडेन्ट ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 77 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए तर्क दिया कि उक्त धारा की उपबिन्दु संख्या 1 'घ' के अनुसार अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती है। इस आशय का संशोधन वर्ष 1976 में किया गया है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र के आधार पर इसी स्तर पर खारिज की जाए। रैस्पोडेन्ट के अभिभाषक की ओर से की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के कारण मैन्टनेबल नहीं हैं। रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में दिनांक 15.03.2023 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 व 136 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिसे दिनांक 16.03.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रैस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन किए जाने व पत्रावली दिनांक 20.04.2023 को पेश किए जाने के निर्देश दिए गए। दिनांक 20.04.2023 के बाद उक्त प्रकरण में अगली पेशी दिनांक 19.07.2023 व इसके बाद दिनांक 24.08.2023 नियत की गई। जिसमें दिनांक 24.08.2023 को सुनवाई हेतु दिनांक 15.09.2023 नियत की गई, परन्तु अदालत मातहत द्वारा रैस्पोडेन्ट की ओर से सी.पी.सी की धारा 151 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर नियत पेशी दिनांक 15.09.2023 से पूर्व ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2023 को पारित किया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 व 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्थगन आदेश जारी किए जाने का कोई प्रावधान नहीं होने के बावजूद अदालत मातहत का गलत रूप से सी.पी.सी के प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2023 को पारित किया गया है, जो कि विधिविरूद्ध है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में जाप्ता दीवानी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तथा भू राजस्व अधिनियम की धारा 128 व 136 के प्रार्थना पत्र में स्थगन देने का कोई प्रावधान नहीं है। इस तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्ट द्वारा 2008 आर.वी.जे. पेज 639 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा जारी आदेश प्रथम दृष्टया ही अवैद्य व शून्य प्रभाव लिए होने के कारण ऐसे आदेश की अपील अदालत हाजा में ही लाई करेगी, क्योंकि अदालत मातहत द्वारा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा खसरा नंबर 889 के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है जबकि कोई भी आदेश प्रभावित पक्षकार को पक्षकार बनाए बिना व सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार खसरा नंबर 889 के अपीलान्ट व तबतीबी रैस्पोडेन्ट राजस्व रिकार्ड में रिकोर्डड खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। खसरा नंबर 889 से असल रैस्पोडेन्ट का कोई लेना–देना नहीं है और न ही खातेदार दर्ज है। रैस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया है कि सम्वत 2043 में हुए सैटलमेन्ट के दौरान की गई गलती को दुरूस्त किया जावे, परन्तु यह उल्लेख नहीं किया है कि सम्वत 2043 से 2078 तक इस तरह का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया। इसी प्रकार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज वेदलाल बनाम नरेश खत्री अपील संख्या 90/23 (2023/104)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

03.10.23

की धारा 128 व 136 के तहत नक्शे मे दुरूस्ती किए जाने का कोई प्रावधान नही है। इसके अलावा भी भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रभावित पक्षकार को सुने बिना किसी प्रकार का आदेश दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पोडेन्ट संख्या 4 से 16 विवादित खसरा नंबर 888 व 889 के रिकार्डेड खातेदार हैं। असल रैस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत को गुमराह कर तथ्यों को छिपाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है, जो कि विधिविरूद्ध है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कोई भी वैद्य या अवैद्य आदेश पारित किया जाता है तो ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील अदालत हाजा में ही लाई करती है। वकील अपीलान्ट ने 1992 आर.आर.डी पेज 440 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि सी.पी.सी की धारा 151 के तहत पारित आदेश को अलग से नहीं पढ़ा जाकर मूल वाद/प्रार्थना पत्र के साथ ही पढा जाएगा तथा इस तरह के प्रकरण में सी.पी.सी की धारा 151 के तहत पारित आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय है। इस तर्क के समर्थन में आर.आर.डी 1995 पेज 146 व 1994 आर.बी.जे 140 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत एल.आर.एक्ट की धारा 128 व 136 के प्रार्थना पत्र में सी.पी.सी की धारा 151 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पारित किया गया है। इसलिए ऐसे आदेश की अपील अदालत हाजा में ही लाई करती है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पोडेन्ट को सुने बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2023 को एकतरफा में पारित किया गया है। जबकि खसरा नंबर 889 से रैस्पोडेन्ट का किसी प्रकार का कोई सरोकार या संबंध नहीं है। महज अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से रैस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत स्थगन आदेश संबंधी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा अदालत मातहत की ओर से पारित आदेश दिनांक 04.09.2023 की क्रियान्वितिी स्थगित की जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील रैस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वकील अपीलान्ट की ओर से रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बहस नहीं कर प्रकरण के गुणावगुण पर बहस की गई है। जबकि अदालत मातहत की ओर से अभी तक कोई अन्तिम निर्णय रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर नहीं किया गया है। वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में जो भी नजीरें पेश की गई हैं। उनमें प्रतिपादित सिद्धान्त उक्त प्रकरण पर इसलिए चस्पा नहीं होते हैं, क्योंकि उक्त सभी नजीरें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पारित किए गए आदेशों के सन्दर्भ में हैं। जिनमें सी.पी.सी की धारा 151 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मूल वाद/प्रार्थना पत्र के साथ शामिल कर लिया था। जबकि उक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट की ओर से एल.आर.एक्ट की धारा 128 व 136 के तहत प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया था एवं इसके बाद सी.पी.सी की धारा 151 के तहत पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अलग से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत द्वारा निर्णय दिनांक

3.10.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज वेदलाल बनाम नरेश खत्री अपील संख्या 90/23 (2023/104)
03.10.23	04.09.2023 को पारित किया गया है जो कि अन्तिम आदेश नहीं होकर अंतरिम आदेश है। जिसके विरूद्ध अपील मैन्टनेबल नहीं होकर निगरानी ही पेश की जा सकती है। निगरानी सुनने की अधिकारिता अदालत हाजा को नहीं होकर माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। जहां तक अदालत मातहत की ओर से पारित आदेश दिनांक 04.09.2023 का प्रश्न है तो इस आदेश के द्वारा अदालत मातहत में खसरा नंबर 888 व 889 की दिनांक 15.09.2023 तक वादग्रस्त आराजी के मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया गया है तथा अप्रार्थीगण को अपना पक्ष नियत पेशी दिनांक 15.09.2023 को उपस्थित होकर पेश करने की अपेक्षा की है। अर्थात अदालत मातहत द्वारा केवल अगली नियत पेशी दिनांक 15.09.2023 तक मौके की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। जिसमें कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नहीं है। अपीलान्ट अदालत मातहत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु पूर्ण स्वतंत्र है। फिर भी यदि अपीलान्ट उक्त आदेश से व्यथित है तो इसके लिए सक्षम न्यायालय में निगरानी पेश की जा सकती है, परन्तु अदालत हाजा में अपील पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर अपील खारिज किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट प्राथमिक आपत्ति के आधार पर खारिज की जावे। रैस्पोडेन्ट व अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषकगण की प्राथमिक आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2023 पर बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की ओर से प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 04.09.2023 के विरूद्ध अदालत हाजा में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील पेश की गई है। मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश आर.टी.ए की धारा 151 के तहत पारित किया गया है। जिसमें दिनांक 15.09.2023 तक खसरा नंबर 888 व 889 के मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार भरतपुर को पाबन्द किया गया है। अतः वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत उक्त आदेश पारित किया गया है, सारहीन हो जाता है। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा रैस्पोडेन्ट की ओर से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 व 136 के प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी तरह का कोई अन्तिम निर्णय पारित नहीं किया गया है, वरन् निर्णय दिनांक 04.09.2023 में विवादित भूमि की दिनांक 15.09.2023 तक मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु तहसीलदार भरतपुर जो कि अप्रार्थी है, को पाबन्द किया गया है। अर्थात उक्त आदेश अंतिम आदेश नहीं होकर अंतरिम आदेश है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 77 जिसमें कि यह उल्लेख है की कतिपय मामलों में अपील नहीं हो सकती है। इस धारा की उपधारा 1 (घ) के अनुसार अतंरिम आदेश के विरूद्ध अपील पेश नहीं हो सकती है। चूंकि अपीलान्ट की ओर से जिस आदेश के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील पेश की गई है वह आदेश अंतिम आदेश नहीं होकर अंतरिम आदेश है तथा अंतरिम आदेश के विरूद्ध उक्त प्रावधान के तहत अपील नहीं होने के कारण उक्त अपील अदालत हाजा में मेन्टनेबल नहीं रहती है। इस संबंध में वकील रैस्पोडेन्ट की

3.10.23
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म
03.10.23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज वेदलाल बनाम नरेश खत्री अपील संख्या 90/23 (2023/104)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.10.23	ओर से बहस में सन्दर्भित विभिन्न नजीरें यथा आर.बी.जे 2006 पेज 798, आर.आर.डी 1991 पेज 422, आर.आर.डी 1986 पेज 308, आर.आर.टी 2020 (2) पेज 806 व आर.आर.डी 1999 पेज 211 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त उल्लेखनीय है। जिनमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सी.पी.सी के आदेश 151 के तहत पारित किए गए आदेश के विरूद्ध अपील मैन्टनेबल नहीं है, वरन् इस तरह के आदेश को निगरानी के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। अतः उपरोक्त नजीरों के परिप्रेक्ष्य में भी उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 04.09.2023 के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील मेन्टनेबल नहीं है। जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित विभिन्न नजीरें यथा 1992 आर.आर.डी पेज 440, 1995 आर.आर.डी पेज 146, 1994 आर.बी.जे पेज 140 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का प्रश्न है तो उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से हम सादर सहमत हैं, परन्तु उक्त नजीर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में सी.पी. सी की धारा 151 के तहत नियुक्त किए गए रिसिवर के आदेशों के संबंध में है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित आदेश के विरूद्ध अपील सुनने की क्षेत्राधिकारिता अदालत हाजा को नहीं है। इसलिए उक्त नजीरें इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा नहीं होती हैं। इसी प्रकार आर.बी.जे 2008 पेज 639 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का प्रश्न है तो उक्त सिद्धान्त से हम सादर सहमत हैं, परन्तु अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 04.09.2023 आर.टी.ए. की धारा 151 के तहत पारित किया गया है। इसलिए हमारी विनम्र राय में उक्त नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील जो कि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के अंतरिम आदेश दिनांक 04.09.2023 के विरूद्ध पेश की गई है, को रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2023 के आधार पर अदालत हाजा में अपील मेन्टनेबल नहीं होने के कारण उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 04.09.2023 के गुणावगुण पर विचार किए बिना अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को सक्षम न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 03.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (साँवर मल शर्मा) संभागीय आयुक्त भरतपुर	